



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092026-276004
CG-DL-E-05092026-276004

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4710]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2026/भाद्र 12, 1948

No. 4710]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/BHADRA 12, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2026

का.आ. 4899(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में NH 80 के किमी0 190.00 से किमी0 215.00 (साहेबगंज बायपास सहित) और किमी0 260.00 से किमी0 283.00 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/ 4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में NH 80 के किमी० 190.00 से किमी० 215.00 (साहेबगंज बायपास सहित) और किमी० 260.00 से किमी० 283.00 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: झारखंड			जिले का नाम: साहिबगंज		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: साहिबगंज					
गांव का नाम: हाजीपुर भीट्टा					
1	2064	निजी	एग्रीकल्चर (बाड़ी 1)	0.0072153 (एकर)	0.00292
2	2203	निजी	एग्रीकल्चर (बाड़ी 1)	0.0595017 (एकर)	0.02408
3	2204	निजी	एग्रीकल्चर (बाड़ी 1)	0.04942 (एकर)	0.02
4	2206	निजी	एग्रीकल्चर (बाड़ी 1)	0.0022733 (एकर)	0.00092
5	3427	निजी	एग्रीकल्चर (बाड़ी 1)	0.0143318 (एकर)	0.0058
6	3589	निजी	एग्रीकल्चर (बाड़ी 1)	0.1625918 (एकर)	0.0658
Total					0.11952

[फा. सं. NHAI/PD/PIU/SBG/NH-80/LA / PKG-II/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd September, 2026

S.O. 4899(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH80 in the stretch of land from Km. 190.00 to Km. 215.00 (including Sahibganj Bypass), and from km. 260.00 to km. 283.00 in the district of SAHIBGANJ in the state of JHARKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Acquisition Officer, Sahibganj in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH80 in the stretch of land from Km. 190.00 to Km. 215.00 (including Sahibganj Bypass), and from km. 260.00 to km. 283.00 in the district of SAHIBGANJ in the state of JHARKHAND

State: JHARKHAND			District: SAHIBGANJ		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sahibganj					
Village: Hajipur Bhitha					
1	2064	Private	Agriculture (Bari -1)	0.0072153 (Acre)	0.00292
2	2203	Private	Agriculture (Bari -1)	0.0595017 (Acre)	0.02408
3	2204	Private	Agriculture (Bari -1)	0.04942 (Acre)	0.02
4	2206	Private	Agriculture (Bari 1)	0.0022733 (Acre)	0.00092
5	3427	Private	Agriculture (Bari -1)	0.0143318 (Acre)	0.0058
6	3589	Private	Agriculture (Bari -1)	0.1625918 (Acre)	0.0658
Total					0.11952

[F. No. NHAI/PD/PIU/SBG/NH-80/LA / PKG-II/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director